क्रम-संख्या--11

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०--

डब्लू०/एन०पी०--91/2014--16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2729/79-वि-1--17-1(क) 31-17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2015" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि 1 जनवरी, 2013 को 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2729(2)/LXXIX-V–1–17-1(ka) 31-17

Dated Lucknow, January 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act No. 9 of 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 in sub-section (2) *for* the word and figures "January 1, 2013" the word and figures "December 31, 2015" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments of provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain proceedings pending before a Magistrate from January 1, 2013 to December 31, 2015.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 791 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2491)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 152 सा0 विधायी–2018–(2492)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।